

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :- श्री रतनलाल

विपक्षी :- श्रीमती धापूबाई वगैरह

किस्म मुकदमा :- 212 रा.का.अधिनियम

पत्रावली संख्या :- 35/24

जीसीएमएस नम्बर :- 2024/96

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक : 12.11.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। चूंकि मूल वाद में आज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जा चुका है। ऐसे में अब इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाकर खारिज किया जाता है। पूर्व में दिनांक 24.10.2024 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।</p> <p>निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

